रैपिडो के साथ ओला-उबर भी चल रहे बिना लाइसेंस

जांच में खुली सभी ऐप टैक्सी कंपनियों की पोल, नोटिस देने की कर रहे तैयारी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

रैपिडो बाइक चालक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद शहर में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर मचे हंगामे के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग की जांच में सामने आया है कि इंदौर में बाइक, ऑटो और कार टैक्सी सेवा देने वाली किसी भी कंपनी के पास वैध लाइसेंस नहीं है। रैपिडो ही नहीं, बल्कि ओला, उबर और जुगनू जैसी सभी ऐप टैक्सी कंपनियां बिना अनुमति के सेवाएं संचालित कर रही हैं।

परिवहन विभाग अब इस मामले में सभी कंपनियों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन कंपनियों की सेवाएं बंद की जा सकती हैं।

परिवहन विभाग के मुताबिक... मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वर्ष-2020 में लागू एग्रीगेटर पॉलिसी के अनुसार इस तरह की सेवा देने वाली हर कंपनी को केंद्र, राज्य और जिले स्तर पर आरटीओ से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में कुछ कंपनियों ने इंदौर में लाइसेंस लिए थे, लेकिन वे सभी एक्सपायर हो चुके हैं और किसी भी कंपनी ने उनका नवीनीकरण नहीं कराया। वर्तमान में इंदौर में एक भी ऐप टैक्सी कंपनी नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है।

उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत जुड़ी सभी गाड़ियों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट होना जरूरी है। ऑटो और कार के मामलों में तो नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन बाइक टैक्सी में बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां ही चलाई जा रही हैं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही ऐप से जुड़े सभी चालकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने को लेकर छूट दी थी, लेकिन इसके लिए राज्यों को अलग नीति बनाने की छूट दी गई है। कई राज्यों ने इस आधार पर नियम बना लिए हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में अब तक नई नीति लागू नहीं होने के कारण निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि रैपिडो का विरोध कर रहे अधिकांश ऑटो चालक खुद भी ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप से जुड़े हुए हैं और इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवारियां ढो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने 12 रैपिडो बाइकों को जब्त किया था। इसके बाद कई रैपिडो चालक आरटीओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की।

चालकों का कहना है कि वे सभी नियमों का पालन करने और अपनी गाड़ियों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हैं। एआरटीओ मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि सबसे पहले कंपनी को आरटीओ से लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही चालकों को जोड़ा जा सकेगा।

इंस्टाग्राम पर 'घोस्ट आईडी' बनाकर नाबालिग को किया परेशान, केस दर्ज

इंदौर। सोशल मीडिया पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 17 वर्षीय किशोरी को लगातार परेशान करने और उसके परिजनों को धमकाने का गंभीर मामला सामने आया है। परेशान किशोरी डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हीरानगर थाना पुलिस के अनुसार... आरोपी पिछले दो महीनों से अलग-अलग 'घोस्ट आईडी' बनाकर किशोरी को फॉलो करता था और अश्लील व डराने वाले मैसेज भेज रहा था। जब भी किशोरी किसी आईडी को ब्लॉक करती, आरोपी तुरंत नई आईडी बनाकर फिर से परेशान करने लगता। आरोपी ने केवल किशोरी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी सोशल मीडिया पर खोजकर उन्हें भी अभद्र संदेश भेजे। इस मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर किशोरी ने घर से निकलना तक बंद कर दिया और डिप्रेशन में चली गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी का आईपी एड्रेस और मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

नन्हे हाथों में सड़क सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी बच्चों ने दिया यातायात नियमों का संदेश

ACHIEVING SCHOLARS
ADMISSIONS OPEN
CONTACT : 9993777350, 8319804206

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से इंदौर में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। पुलिस आयुक्त संतोषकुमार सिह के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/ मुख्यालय) आरके सिंह और पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार त्रिपाठी (प्रभारी यातायात) के मार्गदर्शन में यह अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में शनिवार को महूनाका चौराहा पर एचीविंग स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल, गुमास्ता नगर के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक प्रेरणादायक और सराहनीय पहल की। बच्चों ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर हाथों में पोस्टर और हेलमेट लेकर वाहन चालकों से नियमों के पालन की अपील की। बच्चों की मासूम, लेकिन सशक्त अपील ने राहगीरों और वाहन चालकों को गहराई से प्रभावित किया। कई दोपहिया वाहन चालकों ने मौके पर ही हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।

बच्चों द्वारा प्रदर्शित संदेशों में विशेष रूप से हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए है, ये बात हम बच्चों को समझ में आ गई, ना जाने बड़ों को कब समझ में आएगी, मम्मी-पापा करते हो हमसे प्यार, तो हेलमेट पहनकर निकलो हर बार... जैसे संदेश शामिल रहे, जिन्होंने सड़क सुरक्षा का संदेश प्रभावी ढंग से जनमानस तक पहुंचाया। बच्चों ने हेलमेट दिखाते हुए वाहन चालकों से आग्रह किया- अंकल हेलमेट लगाइए, जिसका सकारात्मक असर मौके पर देखने को मिला। यातायात पुलिस, नगरीय इंदौर ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और बच्चों के इस सराहनीय योगदान की प्रशंसा की तथा भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। पुलिस का कहना है कि ऐसे प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी।

कपास फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान

कोई जनहानि नहीं, समय रहते सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकले

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

इंदौर के किला मैदान क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक कपास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री की इमारत, मशीनरी और वहां रखा कपास जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि सभी मजदूर समय रहते फैक्ट्री से बाहर निकल गए।

फायर ब्रिगेड के अनुसार... दोपहर 12:09 बजे सूचना मिली कि केबी इंडस्ट्रीज में आग लगी है। यह फैक्ट्री टाटा स्टील के पास स्थित है। आग टिन शेड में बनी फैक्ट्री में तेजी से फैल गई, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक रूपचंद पंडित के नेतृत्व में दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने करीब साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में लगभग 1 लाख 64 हजार लीटर पानी का उपयोग किया गया। आग से क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने और मलबा साफ करने के लिए अर्थ मूविंग मशीनों की भी मदद ली गई।

अधिकारियों के अनुसार... फैक्ट्री के पास ही फायर स्टेशन होने के कारण तुरंत कार्रवाई संभव हो सकी, जिससे आग आसपास की अन्य इकाइयों तक नहीं फैल पाई। हालांकि फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक जांच में शॉर्टसर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है।

व्यक्ति की सिटी बस से गिरकर मौत

इंदौर। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे व्यक्ति की सिटी बस से गिरकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा / इखजराना क्षेत्र में उस समय हुआ, जब बस के गेट पर खड़े व्यक्ति से कंडक्टर टिकट के पैसे मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक... मायापुरी कॉलोनी निवासी राजकुमार पिता सुरेश (45) अपने भाई और मां के साथ रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वे सिटी बस में चढ़े, कंडक्टर ने गेट पर ही टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए। इसी दौरान बस चालक ने तेज रफ्तार में बस आगे बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ने पर राजकुमार चलती बस से नीचे गिर गए। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि चालक और कंडक्टर ने मदद करने के बजाय 200 रुपए थमाकर मौके से बस भगा दी।

शहर में दो अलग-अलग इलाकों में मारपीट, पुलिस ने दर्ज किए केस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट की दो घटनाएं सामने आई हैं। दोनों मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एरोड्रम इलाके में गाड़ी न चलाने की बात को लेकर विवाद हो गया। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक गोविंद कॉलोनी निवासी विशाल पिता बृजेंद्र त्रिपाठी (22) की शिकायत पर गुलशन पाठक निवासी गौरी नगर के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। विशाल ने पुलिस को बताया कि गुलशन ने उससे कहा कि वह उसकी गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है? इस पर विशाल ने गाड़ी चलाने से मना किया तो गुलशन ने गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की और हाथापाई कर दी। मारपीट में विशाल की आंख में चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

लसूड़िया में गाड़ी टकराने पर हमला, नुकीली वस्तु से चोट

लसूड़िया थाना क्षेत्र में गाड़ी टकराने की बात पर विवाद बढ़ गया। पुलिस के अनुसार... स्कीम नंबर 78 की इस घटना में ब्रह्मपुरी कॉलोनी निवासी दीपक पिता रमाकांत सोनी ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। दीपक ने बताया कि वह ओला कार से जा रहा था, तभी सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति से उसकी गाड़ी टकरा गई। इस पर उक्त व्यक्ति और उसके साथी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे दीपक के दोस्त पर भी हमला किया गया। इसी दौरान आरोपियों में से किसी एक ने जेब से नुकीली वस्तु निकालकर वार कर दिया, जिससे चोट लगने पर खून बहने लगा। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों मामलों में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोचिंग फीस जुटाने डिलीवरी बॉय बना छात्र, सड़क हादसे में गई जान

नहीं हो सकी टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

राऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रूपेश आर्य के रूप में हुई है, जो बड़वानी जिले के ग्राम कुटवाड़ी (वरला) का रहने वाला था। वह इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और कोचिंग की फीस व खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था।

पुलिस के अनुसार... यह हादसा दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास बायपास रोड पर हुआ। शुक्रवार रात रूपेश सिलिकॉन सिटी की ओर डिलीवरी के लिए गया था। लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि हादसे की सूचना उन्हें रूपेश के ही मोबाइल फोन से मिली थी। सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपेश के पिता शांतिलाल आर्य किसान हैं। परिवार में एक भाई और दो बहनें हैं। राऊ थाने के प्रधान आरक्षक यशवंतसिह भाटी के अनुसार... मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। शव का जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया गया है। फिलहाल टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस जांच कर रही है।

सरेआम चाकूबाजी करने वाले बदमाश का निकाला जुलूस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

खजराना थाना क्षेत्र में सरेआम चाकूबाजी कर दहशत फैलाने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाके में जुलूस निकालते हुए जनता के सामने पेश किया। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया।

घटना 4 फरवरी की रात खजराना मेन रोड पर होटल के सामने हुई थी, जहां शराब के नशे में धुत्त गुंडे शोएब उर्फ चिकना ने वासिम खान नामक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी और व्यापारियों में भी भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई मनोज संखवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को उसी स्थान पर लेकर पहुंची, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान आरोपी को कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई गई और जनता से माफी मंगवाई गई। पुलिस की इस 'जीरो टॉलरेंस' कार्रवाई से क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली। व्यापारियों ने पुलिस टीम पर फूल बरसाकर स्वागत किया और 'पुलिस प्रशासन जिंदाबाद' के नारे लगाए।

समाधान योजना के तहत 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी फरवरी अंत तक

इंदौर। राज्य शासन ऊर्जा विभाग की बकाया बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू समाधान योजना में तीन माह से पुराने बकाया बिल होने पर एकमुश्त मूल बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज माफी 90 फीसदी तक दी जा रही है। इस 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। उपभोक्ता इस सुविधा का मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 434 जोन, वितरण केंद्र या ऑन लाइन विकल्प के रूप में कंपनी के पोर्टल पर जाकर लाभ सरचार्ज माफी करा सकते हैं। अब तक लगभग 6 लाख 1 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना में पंजीयन कराकर छूट लाभ लिया है। इन उपभोक्ताओं को 26 करोड़ की रियायत दी गई है, वहीं कंपनी को 148 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।

सीने में उठा दर्द, अस्पताल की दौड़ में थमी सांस, ड्यूटी के दौरान मौत

खर्च देने को थे तैयार, फिर भी कर दिया रेफर

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9584691000

देवास नाका स्थित फिनिक्स सिटी निवासी उत्तम पिता निर्मल (48) की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई।

उत्तम टोयोटा शोरूम के गोदाम में ड्यूटी पर थे, तभी उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। दर्द बढ़ते ही उन्होंने पास मौजूद सहकर्मी को इसकी जानकारी दी। साथी कर्मचारी उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद हालत गंभीर बताते हुए बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर रवाना ही हुए थे कि रास्ते में ही उत्तम ने दम तोड़ दिया।

मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि पिता को सुबह से ही सीने में दर्द हो रहा था। दवा लेने के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन शाम को ड्यूटी के दौरान अचानक दर्द बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल में बिना स्पष्ट जानकारी दिए उन्हें बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया।

परिजनों का कहना है कि इलाज में आने वाला खर्च देने को वे तैयार थे, इसके बावजूद तत्काल रेफर कर दिया गया। मामले में लसूड़िया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस के अनुसार... पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। फिलहाल प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों अविवाहित हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है।

Yellow Diamond
प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर-452020, म.प्र., भारत
फोन: (91 731) 2437604 / 642; फैक्स: (91 731) 2437605
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in; वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

दिसंबर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

दिसंबर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 6, 2026 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में विचार और अनुमोदित किया गया है।

दिसंबर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह के संपूर्ण अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध हैं। इसे **क्यूआर कोड** स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान: इंदौर
दिनांक: फरवरी 6, 2026

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
अमित कुमत
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 02663687

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK
एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN: L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV [देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना]

जबकि, अद्योहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" (2002 का 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 13 (12) का सपठित नियमों के नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमितकर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर / ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	स्थावर सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
(ऋण खाता संख्या) L9001060122063489 सचिन बूंद (ऋणी), संदीप बूंद (सहऋणी), श्रीमती सारिका महाशाबदे (सहऋणी)	14-अगस्त-25 Rs. 4,96,739/- चार लाख छियानवे हजार सात सौ उनतालीस रूपये मात्र 12-अगस्त-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 98, दक्षिण तरफ का भाग, वार्ड नं. 13, प्रेम नगर भाग-2, तहसील एंव जिला देवास, मप्र क्षेत्रफल 43 वर्गगज, पूर्व: प्लॉट नं. 101, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट नं. 98 का शेष भाग, दक्षिण: प्लॉट नं. 97	04-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001070123245178 आशीष भाटिया (ऋणी), नूतन भाटिया (सहऋणी)	11-नवम्बर-25 Rs. 42,54,173/- बयालीस लाख चौवन हजार एक सौ तिहत्तर रूपये मात्र 10-नवम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित नगर पालिका वार्ड नं. 14, मकान नं. 173, मोहल्ला हिम्मत पम्प से आगे कंचन गैस टैंक, जवाहर मार्ग, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मप्र क्षेत्रफल 560 वर्गफीट, पूर्व: परेश भाटिया का मकान, पश्चिम: कन्हैया लाल का मकान, उत्तर: गली, दक्षिण: रोड	03-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001060134341522 परिहार खली भण्डार (ऋणी), मुकेश चन्द्र परिहार (सहऋणी), श्रीमती सीमा बाई परिहार (सहऋणी)	15-सितम्बर-25 Rs. 5,29,567/- पांच लाख उनतीस हजार पांच सौ सडसठ रूपये मात्र 11-सितम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायत मकान नं. 46, सरल नं. 849, पीएच नं. 72, वार्डनं. 16 ग्राम मेरखेड राम मंदिर, जिला देवास, मप्र क्षेत्रफल 384 वर्गफीट, पूर्व: जितेन्द्र का मकान, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: देवकरण का मकान, दक्षिण: तेज सिंह का मकान	04-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001060143798147 मैसर्स कौशल्या ट्रेडर्स (ऋणी), शिवपाल सिंह राठौड (सहऋणी), श्रीमती कौशल्या कुंवर राठौड (सहऋणी)	18-अगस्त-25 Rs. 13,50,231/- तेरह लाख पचास हजार दो सौ इकत्तीस रूपये मात्र 12-अगस्त-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सरल नं. 2348, मकान नं. 166, पीएच नं. 00031, ग्राम बीसाखेडी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मप्र क्षेत्रफल 1326 वर्गफीट, पूर्व: लोकेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल जी का मकान, पश्चिम: खुली जगह एवं राजेन्द्र का मकान, उत्तर: नरवसिंह सिंह का मकान, दक्षिण: रास्ता	04-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001060146241666 मैसर्स सांवरिया इन्फ्रा (ऋणी), शिवपाल सिंह राठौड (सहऋणी), श्रीमती कौशलया कुंवर राठौड (सहऋणी)	18-अगस्त-25 Rs. 12,05,072/- बारह लाख पांच हजार बहत्तर रूपये मात्र 12-अगस्त-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सरल नं. 2348, मकान नं. 166, पीएच नं. 00031 ग्राम बीसाखेडी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मप्रक्षेत्रफल 162.63 वर्गमीटर, पूर्व: आम रास्ता, पश्चिम: खाली जगह, उत्तर: बैजनाथ सिंह का मकान, दक्षिण: नवरल सिंह जी का मकान	04-फरवरी-26
(ऋण खाता सख्या) L9001070529205767 & L9001070221851921 मोहसिन मंसूरी (ऋणी), श्रीमती रूबीना खान (सहऋणी)	18-सितम्बर-25 Rs. 5,21,793/- पांच लाख इक्कीस हजार सात सौ तिरानवे रूपये मात्र एवं Rs. 3,12,357/- तीन लाख बारह हजार तीन सौ सत्तावन रूपये मात्र 17-सितम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 103, वार्डनं. 12, विवेकानन्द वार्ड स्वरकार पथ, तहसील अंजद, जिला बडवानी, मप्र क्षेत्रफल 540 वर्गफीट, पूर्व: निजाम खान का मकान, पश्चिम: आम रोड, उत्तर: सबरेस का मकान, दक्षिण: गली	05-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001070422785279 ध्यान सिंह बडोले (ऋणी), श्रीमती पिंकी बडोले (सहऋणी)	18-सितम्बर-25 Rs. 9,50,700/- नौ लाख पचास हजार सात सौ रूपये मात्र 17-सितम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित सर्वे नं. 228/3, 228/4, पटवारी हलका नं. 04, प्लॉट नं. 90, साई धाम कॉलोनी, ग्राम भीलखेडा, तहसील एवं जिला बडवानी, मप्र क्षेत्रफल 800 वर्गफीट, पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. 117, उत्तर: प्लॉट नं. 89, दक्षिण: प्लॉट नं. 91	05-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001060122837760 संतोष भार्गव (ऋणी), श्रीमती राधा (सहऋणी)	15-नवम्बर-25 Rs. 19,31,089/- उन्नीस लाख इकतीस हजार नवासी रूपये मात्र 10-नवम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 87-आर, कृष्णबाग कॉलोनी, वार्ड नं. 30, जोन-08 तहसील एवं जिला इन्दौर, मप्र क्षेत्रफल 525 वर्गफीट, पूर्व: नाली, पश्चिम: रोड, उत्तर: ललित का मकान, दक्षिण: रमेश कामकान	03-फरवरी-26
(ऋण खाता संख्या) L9001070235483372 & L9001070540865052 सुमित चौहान (ऋणी), श्रीमती रूकमणी चौहान (सहऋणी), नितिन चौहान (सहऋणी)	13-नवम्बर-25 Rs. 7,41,156/- सात लाख इकतालीस हजार एक सौ छप्पन रूपये मात्र एवं Rs. 4,27,827/- चार लाख सत्ताईस हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये मात्र 10-नवम्बर-25 तक	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 14, उपाध्याय वार्ड, परमधाम मार्ग, तहसील मनावर जिला धार, मप्र क्षेत्रफल 454446, क्षेत्रफल 702 वर्गफीट, पूर्व: सुभाष पाटीदार का मकान, पश्चिम: जगदीश चौहान का मकान, उत्तर: रोड, दक्षिण: बावडी	06-फरवरी-26

ऋणियों द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अवधि इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है। ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक "एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" (एशेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 07.02.2026 स्थान: इंदौर, मप्र प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड